उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

19

संख्या– /VI-I/2008-10(7)2008

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग – देहरादून दिनांक : २५ नवम्बर, 2008

विषय :–लोक संस्कृति का दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा इसके विविध आयामों के दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्मित/लागू किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) दस्तावेजीकरण से पूर्व पटकथा एवं सामग्री का प्रामाणिक होने का स्पष्ट प्रमाण सहित प्रथमतः संस्कृति निदेशालय में जमा किया जाये, तथा निदेशालय द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृति मिलने/संस्तुति मिलने के उपरान्त ही धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(2) अनुदान की अधिकतम धनराशि क्षेत्र विकास के भ्रमण एवं सामग्री के संग्रह में व्यय की जायेगी तथा अनावश्यक व्यय को हतोत्साहित किया जायेगा।

(3) यदि दस्तावेजीकरण का कार्य संस्था (गैर सरकारी) द्वारा किया जा रहा है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा खातों का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से परीक्षित होना अनिवार्य होगा।

(4) दस्तावेजीकरण में पूर्णता/प्रामाणिकता/शुद्धता एवं मूल स्वरूप को पूर्ण रूप से संरक्षित करते हुए अश्लीलता एवं अप्रमाणिक तथ्यों के प्रवेश को कठोरता से रोका जायेगा।

(5) दस्तावेजीकरण का कार्य एक संस्था से कराये जाने के उपरान्त उसी विषय पर अन्य संस्था को अनुदान नहीं दिया जायेगा। अतः विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस भी विषय पर दस्तावेजीकरण का कार्य आरम्भ किया जाय वह अपने आप में पूर्ण हो, तथा कोई महत्वपूर्ण तथा सुसंगत तथ्य छूटने न पाय।

(6) अनुदान की स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत दी जायेगी तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा कार्य संतोषजनक होने पर ही शेष 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) निर्मित साम्रगी का सर्वाधिकार संस्कृति विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(8) लोक संस्कृति के दस्तावेजीकरण के प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्ताव में लोक संस्कृति के सभी पहलुओं का ऐट–ए–ग्लास पूर्णताः में परिचय हो रहा है, ताकि संस्कृति के दस्तावेज को कहीं पर भी प्रमाणिकता एवं पूर्णता के साथ दिखाया जा सके।

(9) दस्तावेजीकरण के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक संस्कृति के रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत, त्योहार आदि सभी पहलुओं का समग्र रूप में समावेश किया जायेगा। अभिलेखन कार्य इस प्रकार का हो जिसमें जनजाति विशेष की कला एवं संस्कृति से सम्बन्धित पूर्व में किये गये अभिलेखन/अन्य सम्बन्धित कार्यों से भिन्नता/नवीनता का भी पुट हो।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–272 (पी) /XXXVII (3)/2008 दिनांक–14 नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबुद्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-293/VI-I/2008–4(7)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
7. मीडिया सेन्टर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव